कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं 667

25 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- कृषि उत्पादकता में गिरावट को दूर करने के लिए पहल

667 **श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के तटीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में गिरावट को दूर करने के लिए मंत्रालय ने गुजरात सरकार के साथ क्या संयुक्त पहल की है; और

(ख) मंत्रालय ने खारे भूमि की चुनौतियों से निपटने वाले किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार के साथ क्या सहयोगात्मक प्रयास किए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि राज्य का विषय है। हालाँकि, भारत सरकार केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों की एक व्यापक श्रृंखला को कार्यान्वित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को सक्रिय रूप से सहयोग दे रही है और उन्हें पूरक बना रही है। ये स्कीमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि सहित कृषि के पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल करती हैं। ऐसी स्कीमों की सूची **अनुबंध I** में देखी जा सकती है। इन स्कीमों के सकारात्मक कार्यान्वयन में सरकार के प्रयासों से गुजरात राज्य सहित पूरे देश में कृषि उत्पादकता में सुधार की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। गुजरात राज्य (तटीय क्षेत्रों सहित) में फसलों की उत्पादकता वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक बढ़ी है, जिसे **अनुबंध II** में देखा जा सकता है [स्रोत: यूनीफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिसटिक्स(यूपीएजी) पोर्टल (url: upag.gov.in)]

(ख): गुजरात राज्य में कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाली लवणता की समस्या से निपटने के लिए, आईसीएआर सीएसएसआरआई, करनाल ने जलभराव वाली लवणीय काली मिट्टी के सुधार हेतु सब-सर्फेस जल निकासी (एसएसडी) तकनीक विकसित की है और सूरत जिले (मुलाड गाँव, माही-कडाना और उकाई-काकरापार कमान क्षेत्र) में इसका प्रदर्शन किया है। सरदार सरोवर नर्मदा निगम कमान क्षेत्र में पुनः लवणीकरण और सोडिफिकेशन को कम करने हेतु नहर और भूजल के संयुक्त उपयोग की तकनीक संबंधित विभाग को प्रदान की गई है। गेहूँ की लवण-अनुकूल किस्म (केआरएल 210), घास/चारा किस्में, डाइकैंथियम एनुलैटम के सकर्स, देसी कपास (जी. कॉट 23) को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर-सीएसएसआरआई ने राज्य एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों, आयोजनों और संगोष्ठियों में भाग लिया है।

इसके अतिरिक्त, कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई) के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) स्कीम, जिसे गुजरात के सभी 33 जिलों सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है, राज्यों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन और किसान जागरूकता के माध्यम से नवीनतम कृषि तकनीकों को कार्यान्वित करने के लिए अनुदान देकर एक डीसेंट्रलाइज्ड, किसान-हितैषी विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 से, सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी प्रोग्राम (एसएचएंडएफ) मिट्टी के पोषक तत्वों का विश्लेषण और अनुकूलित उर्वरक सुझाव प्रदान करके किसानों को मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में सहायता करता है।

अनुबंध I

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख स्कीमें

क्र.सं	योजना का नाम
I.	**केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें**
1.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2.	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई)
3.	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
5.	संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
6.	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
7.	एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
8.	10,000 नए एफपीओ का गठन और संवर्धन
9.	स्टार्ट अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर)
10.	नमो ड्रोन दीदी
II. केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ	
II	**राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)**
II राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	
11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आधारित स्कीमें (आरकेवीवाई-डीपीआर)
12.	सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएचएंडएफ)
13.	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
14.	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
14(क)	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ)
15.	परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
16.	कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
16(क).	फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम)
17.	कृषिवानिकी
18.	फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
II (ii) कृषोन्नति योजना	
19.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
19(क).	बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
20	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
21.	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
22	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
22(क)	राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)
23	इंटीग्रेटड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग (आईएसएएम)
24	पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
25	कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
26	डिजिटल कृषि

अनुबंध II

गुजरात राज्य में फसलों की उत्पादकता

(किलोग्राम / हेक्टेयर में)

फसल	2020-21	2023-24	% बढ़ोतरी
कुल दलहन	1295	1375	6.17
कुल खाद्यान्न	2121	2320	9.38
कुल तिलहन	1844	2319	25.75

*[स्रोत: कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल (यूपीएजी) पोर्टल (*url*: upag.gov.in)]*

*****